दिनांक: 11-08-2020

स्पष्टीकरण

बैंक को कई भावी बोलीदाताओं से कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। अभिव्यक्ति की अभिरूचि के संबंध में प्रश्नों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित हैं:

1. बैंक ने भावी बोलीदाता से अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ईओआई) आमंत्रित किया है। आरएफपी पृथक रूप में जारी की जायेगी एवं इसे ईओआई योग्यता पूर्व- मानदंडों के आधार पर सफल बोलीदाता को उपलब्ध कराया जाएगा;

2. आरएफपी में, अन्य बातों के साथ, बोली दस्तावेज़ हेतु शुल्क, ईएमडी राशि, तकनीकी तथा वाणिज्यिक मानदंड आदि शामिल होंगे।

3. इसके दायरे में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सेवाएं शामिल हैं तथा दोनों के लिए केवल एक बोली प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है;

4. रा.आ.बैंक के सभी कार्यालयों को वर्तमान दायरा कवर कर रहा है। बैंक ने चार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है तथा भविष्य में और कार्यालय खोल सकता है। यदि असाइनमेंट के दौरान खोला गया तो चयनित फर्म को सभी नए कार्यालयों से संबंधित कार्य को संभालना होगा।

5. ईओआई के दायरे में जीएसटी लेखा परीक्षा अर्थात सहायक दस्तावेजों की तैयारी, फॉर्म 9 एवं 9ग या वित्त वर्ष 2018-19 के बाद के लिए कोई अन्य संबद्ध सहायता शामिल है;

6. रा.आ.बैंक सैप -ईआरपी का उपयोग कर रहा है। जीएसटी मॉड्यूल को कार्यांवयित किया जाना बाकी है। यह दायरा सैप-ईआरपी में जीएसटी कार्यान्वयन तथा लेखांकन / कर प्रभाव पर मार्गदर्शन हेतु सहायता प्रदान करने को कवर करता है। इसके अतिरिक्त, लेखांकन पर भारतीय लेखांकन मानक मार्गदर्शन एवं इसके कर निहितार्थ को दायरे में शामिल किया गया है;

7. सेवा कर लेखा परीक्षा के दायरे में आता है।

8. वर्तमान में, रा.आ.बैंक में 130 नियमित कर्मचारी हैं।

9. वर्तमान में रा.आ.बैंक के पास दिल्ली (दिल्ली राज्य के लिए लागू नहीं) को छोड़कर अपने सभी कार्यालयों का व्यावसायिक कर पंजीकरण है;

10. सदस्यों फर्मों से प्रमाणीकरण सहित अनुबंध के किसी भी उप-अनुबंध की अनुमति नहीं है;

11. यदि कोई भी रिटर्न भविष्य में आयकर अधिनियम के तहत सीबीडीटी द्वारा लागू किया गया है तो उसे उसी दायरे में कवर किया माना जाएगा;

12. जीएसटी इनवॉयस बैंक द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, लेकिन ई- इनवॉयसिंग के लिए जीएसटी कानून में भविष्य में बदलाव के अनुसार, सलाहकार को कार्य पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना अपेक्षित है;

13. बैंक के कर्मचारियों को कर अनुपालन एवं अन्य कर मामलों जैसे जीएसटी, टीडीएस और आयकर आदि पर छमाही प्रशिक्षण प्रदान करना अपेक्षित है;

14. बोलीकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि अनुभव के समर्थन में कार्य आदेश प्रस्तुत करें;

15. बैंक में वर्तमान में एक 'टैन' है;

16. पेरोल प्रोसेसिंग दायरे का भाग नहीं है। वेतन के विभिन्न शीर्षकों की कर देयता की जांच करना, निवेश प्रमाण की जांच करना, कर की गणना, टीडीएस रिटर्न दाखिल करना, फॉर्म -16 का सृजन एवं उक्त का सत्यापन आदि, जिसमें अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी आदि पर कर मूल्यांकन शामिल है।

17. इसमें शामिल मुद्दों के साथ लंबित आयकर मामले का विवरण इस समय साझा नहीं किया जा सकता है, हालांकि, बोलीदाता को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है जिसका विवरण रा.आ.बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध है;

18. ग्राहक से प्रमाणन के संबंध में आवश्यकता को स्पष्ट रूप से ईओआई में परिभाषित किया गया है;

19. अनुबंध VII और VIII को सफल बोलीदाता द्वारा बैंक के साथ निष्पादित किया जाना अपेक्षित है;

20. फर्म पहले ही फोरेंसिक लेखा परीक्षा के लिए रा.आ.बैंक के साथ पैनल में शामिल है जिसे लागू किया जा सकता है।

###